

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2013/1379

दिनांक:- 10/6/13


आदेश

आवासन मण्डल की अटलनगर, निम्बाहेडा, जिला-चित्तौड़गढ़ पुराना निम्बाहेडा, सैती पी.एच-3, सैती पी.एच-2 एवं प्रतापनगर आवासीय योजना में अवशिष्ट आवासों को जहां है जैसे है की स्थिति में नीलामी के माध्यम से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

नीलामी से निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-


क्र.सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास की संख्या	आवास संख्या
1	अटल नगर, निम्बाहेडा	घरोन्दा	3	2/110, 2/118, 2/148, (3)
2	" "	आ.दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	2	3/189, 2/181 (2)
3	" "	अल्प आय वर्ग	3	3/32, 3/79, 3/429 (3)
4	" "	मध्यम आय वर्ग - 'अ'	1	4/105 (1)
5	" "	मध्यम आय वर्ग - 'ब'	1	4/11 (1)
6	पुराना निम्बाहेडा	मध्यम आय वर्ग - 'अ'	1	1/77 (1)
7	" "	मध्यम आय वर्ग - 'ब'	1	1/115 (1)
8	सैती पी.एच-3	घरोन्दा	3	3-F-1, 3-F-16, 3-F-21 (3)
9	सैती पी.एच-2	अल्प आय वर्ग	1	2-D-80 (1)
10	" "	मध्यम आय वर्ग - 'अ'	3	2-B-7, 2-B-8, 2-B-10 (3)
20	प्रतापगढ़	अल्प आय वर्ग	1	1/239 (1)
		कुल आवास =	20	

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।


 (डा० आर.व.क.ट.श्वरन)
 आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड राजस्थान आवासन मण्डल,.....।
8. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेब साईट पर डलवायें व सभी उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ताओं को ई-मेल करवायें।
9. रक्षित पत्रावली।


 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक